न्यायालय अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा

आर0ई0आर0 केश सं0– 118/16–17

मु0 जमालुद्दीन बनाम् मु0 जैनुल हक

–: आदेश :–

वर्त्तमान वाद अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के न्यायालय से अंतरित होकर आया हुआ है। आवेदक मु0 जमालुद्दीन, पे0–स्व0 साहिद, सा0–भैरोचक, थाना–हनवारा, जिला–गोड्डा के आवेदन पर महागामा अंचल के मौजा–रामकोल नं0–457, जमाबंदी नं0–34, दाग नं0–529, रकवा–00–01–06 धूर एवं दाग नं0–530, रकवा–00–04–10, कुल रकवा–00–05–16 धूर जमीन से विपक्षी मु0 जैनुल हक, पे0–मु0 जमालुद्दीन, सा0–रामकोल, थाना–हनवारा, जिला–गोड्डा को संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा–20 एवं 42 के अंतर्गत उच्छेद करने हेतु दायर किया गया है।

उभय पक्ष को नाटिस निर्गत किया गया एवं उनके द्वारा न्यायालय में अपना–अपना पक्ष रखा गया। उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुना एवं अभिलेख में संलग्न कागजात का अवलोकन किया।

आवेदक के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि महागामा अंचल के अंतर्गत मौजा–रामकोल नं0–457, जमाबंदी नं0–34, रकवा–03–06–18 धूर जमीन जमाबंदी रैयत भगली मंडल, पे0–शेख नाजीर मंडल के नाम से दर्ज है। आवेदक जमाबंदी रैयत का वंशज तथा पोता है। दाग नं0–529 एवं 530 आवेदक के हिस्से की जमीन है। विपक्षी किसी भी तरह से जमाबंदी रैयत से संबंध नहीं रखते हैं। जबरन दखल कर नाजायज फायदा उठाना चाहते हैं। विवादित भूमि पर आवेदक का फलदार पौधा लगा हुआ है, जिसमें आम भी है। अंचल अधिकारी, महागामा के द्वारा आदेश पारित किया गया है कि विपक्षी विवादित भूमि पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करेंगे। विपक्षी आपराधिक तत्वों का सहारा लेकर निर्माण कार्य करना चाहते हैं तथा मना करने पर जान से मारने की धमकी देते हैं। अंत में आवेदक के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा मौजा–रामकोल नं0–457, जमाबंदी नं0–34, दाग नं0– 529, रकवा–00–01–06 धूर एवं दाग नं0–530, रकवा–00–04–10 धूर जमीन से विपक्षी को उच्छेद करने का अनुरोध किया गया है।

विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि मौजा–रामकोल नं0–457, जमाबंदी नं0–39 गत सर्वे में शेख मते मंडल, पे0–शे0 मंगरू मंडल व शे0 अनुलाह मंडल, शे0 मैनुलाल मंडल, पे0–शे0 गरभु मंडल के नाम से दर्ज है। जमाबंदी नं0–34 गत सर्वे में भगली मंडल, पे0–शेख नाजीर मंडल के नाम से दर्ज है। आवेदक जमाबंदी नं0–34 के वंशज है तथा विपक्षी जमाबंदी नं0–39 के वंशज हैं। मौजा–रामकोल नं0–457, जमाबंदी नं0–34, दाग नं0–529 एवं 530, कुल रकवा–00–05–16 धूर जमीन, मौजा–रामकोल के जमाबंदी नं0–39 का दाग नं0–610, रकवा–00–15–07 धूर जमीन के रकवा–00–05–07 धूर जमीन उभय पक्षों के पूर्वजों के बीच वर्षो पूर्व बदलानामा कर उभय पक्ष शांतिपूर्वक दखलकार चले आ रहे हैं तथा जमीन पर मकान बनाकर बसोवास करते आ रहे हैं। अंचल अधिकारी, महागामा एवं थाना प्रभारी, हनवारा ने भी उभय पक्ष के बीच बदलानामा की बात स्वीकार किया गया है। विपक्षी ने जानबूझ कर कानून का उल्लंघन नहीं किया है, बल्कि जानकारी नहीं रहने के कारण उभय पक्ष के पूर्वजों के बीच बदलानामा को कानूनी रूप नहीं दिया जा सका है। आवेदक द्वारा आवेदन देकर विपक्षी को परेशान किया जा रहा है। अंत में विपक्षीगण के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा आवेदक के आवेदन को खारिज करने का अनुरोध किया है।

अंचल अधिकारी, महागामा ने अपने पत्रांक–412/रा0, दिनांक... 2015 द्वारा प्रतिवेदित किया है कि मौजा–रामकोल नं0–457, जमाबंदी नं0–34, रकवा 03–06–18 धूर जमीन जमाबंदी रैयत भगली मंडल, पे0–शेख नाजीर मंडल के नाम दर्ज है। आवेदक जमाबंदी रैयत का पोता है। मौजा–रामकोल नं0–457, जमाबंदी नं0–34 दाग नं0–529, रकवा–00–01–06 धूर एवं दाग नं0–530, रकवा–00–04–10, कुल रकवा–00–05–16 धूर जमीन में उत्पन्न विवाद को लेकर जफीरूद्दीन वगै0 बनाम जैनुल हक वगै0, सभी सा0–रामकोल में वाद चलाया गया, जिसमें विपक्षीगण द्वारा उक्त भूमि बदलेन में प्राप्त होने की बात कही गई, परन्तु बदलेन संबंधी दस्तावेज समर्पित नहीं किया गया है।

मो0 फैयाज खान, स0अ0नि0, हनवारा थाना ने डी0आर0 नं0–395/15 दिनांक–24.06.2015 द्वारा प्रतिवेदित किया है कि दोनों पक्षों में आपसी सहमति से करीब 40–42 वर्ष पूर्व बदलेन किया गया है। मौजा–रामकोल नं0–457, जमाबंदी नं0–34, दाग नं0–529, रकवा–00–01–06 धूर एवं दाग नं0–530, रकवा–00–04–10, कुल रकवा–00–05–16 धूर जमीन पर विपक्षी मु0 जैनुल हक, पे0–स्व0 जमालुद्दीन, सा0–रामकोल दखलकार हैं। प्रथम पक्ष का मकान जमाबंदी नं0–39, दाग नं0–610 बना हुआ था, जिसका वर्त्तमान में छत गिरा हुआ है। मकान से सड़क तक जाने को लेकर विवाद था, रास्ता दे दिया गया है।

उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुनने तथा अभिलेख में संलग्न कागजात के अवलोकन से ज्ञात होता है कि उभय पक्षों के बीच आपसी सहमति से बदलेन के आधार पर प्राप्त किये जमीन पर मकान बनाकर विपक्षी बसोवास करते आ रहे हैं। हांलाकि उभय पक्ष के बीच आपसी सहमति से तैयार किया गया बदलानामा निबंधित नहीं है। स्पष्टतया प्रासंगिक मामला उभय पक्ष के पूर्वजों की सहमति से अमल में आया है, जो भूमि के स्वत्व के निर्धारण से संबंधित है। अतएव्, आवेदक के द्वारा प्रस्तुत आवेदन को खारिज किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

08/12/2020

अनुमंडल पदाधिकारी
महागामा।

अनुमंडल पदाधिकारी
महागामा।